नगालैंड के सीमांत क्षेत्र की मांग

[स्रोत: द हिंदू](#)

गृह मंत्रालय (MHA) ने **ईस्टर्न नगालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइज़ेशन (ENPO) द्वारा** प्रस्तावित **फ्रंटियर नगालैंड क्षेत्र (Frontier Nagaland Territory- FNT) में स्वायत्तता की** मांग पर सहमति व्यक्त की है।

नगालैंड का सीमांत क्षेत्र (FNT)

- **परिचय:**
  - FNT एक **प्रस्तावित प्रशासनिक क्षेत्र है जिसकी मांग ENPO** द्वारा **नगालैंड के 6 पूर्वी ज़िलों-** कफिरे, लोंगलेंग, मोन, नोकलाक, शामटोर और तुएनसांग में **विकासात्मक असंतुलन** का समाधान करने के उद्देश्य से की गई थी।
- **उद्देश्य:**
  - इसका उद्देश्य **बेहतर प्रशासन** और **"विकास असंतुलन" का समाधान करने** हेतु **केंद्रित संसाधन आवंटन को संभव बनाते हुए** उक्त ज़िलों को **कार्यकारी, विधायी और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना है।**
- **महत्त्व:**
  - इन ज़िलों में **7 नगा जनजातियाँ (कोन्याक, खियामनियुंगन, चांग, संगतम, तिखिर, फोम और यिमखिउंग) पाई जाती हैं** जो **नगालैंड की कुल जनसंख्या का 30% हैं** और कुल **60 विधानसभा सीटों में से 20 सीटें यहाँ से हैं**।
- **पृष्ठभूमि:**
  - पूर्वी नगालैंड के लिये एक अलग राज्य की मांग वर्ष **2010 से शुरू हुई थी,** जिसका नेतृत्व ENPO ने संबद्ध क्षेत्र में विकास संबंधी गंभीर अभाव का हवाला देते हुए किया था।

नगालैंड:

- 1947 में स्वतंत्रता पश्चात् भी **नगा क्षेत्र असम का हिस्सा बना रहा** । इसे **1 दिसंबर 1963 को नगालैंड राज्य अधिनियम, 1962** के तहत एक राज्य के रूप में मान्यता दी गई।

//

और पढ़ें: नगालैंड राज्य दिवस

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/demand-for-frontier-nagaland-territory